

B.L.D.R. Appeal No. 379/2023

सिपाही भगत एवं अन्य

बनाम

मु० छट्ठी देवी एवं अन्य

05.04.2024


अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सरकारी अधिवक्ता- उपस्थित।


विद्वान अधिवक्ताओं को ग्रहण के बिन्दु पर विस्तारपूर्वक सुना।

निम्न न्यायालयीय आदेश से यह स्पष्ट है वर्तमान अपील में स्वत्व निर्धारण का जटिल प्रश्न निहित है साथ ही संबंधित पक्षों के बीच रैयती भूमि पर दखल-कब्जा को पुष्ट करने का भी प्रश्न है। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा भी इस को स्वीकार करते हैं। इस तरह के मामलों का निपटारा अन्य प्राधिकार या सक्षम न्यायालय की अधिकारिता है।

अतः उपरोक्त कारणों से यह अपीलवाद इस स्तर पर विचारणीय नहीं पाते हुए ग्रहण के बिन्दु पर अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित


अयुक्त


अयुक्त